न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 26/2012

अपीलांट

विठलभाई पुत्र श्यामजी भाई जाति पटेल निवासी पटेल फार्म सिरोही तहसील व जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. संजय पुत्र शंभूलाल जी जाति अग्रवाल आयु वयस्क पेशा व्यापार
2. सुनील पुत्र स्व. शंभूलालजी जाति अग्रवाल वयस्क पेशा व्यापार
3. संदीप पुत्र स्व. शंभूलालजी जाति अग्रवाल वयस्क पेशा व्यापार
4. श्रीमती चंदा धर्म पत्नी स्व. शंभूलालजी जाति अग्रवाल आयु वयस्क पेशा घर धंधा
5. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. शंभूलालजी जाति अग्रवाल आयु वयस्क पेशा घर धंधा निवासीयान पुराने सिनेमा हाल के पास सदर बाजार सिरोही
6. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय सिरोही
7. श्रीमान तहसीलदार साहब, सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश कुमार शाह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 की
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा बमुकदमा संख्या 86/08 बउनवान विठलभाई बनाम संजय वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही के खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2815/3668 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी से लगती दक्षिण दिशा में 30 फीट वाले तीन रास्ते जो रेस्पोडेन्टगण 1 ता 5 के खातेदारी की है, पर अपने आने जाने हेतु रास्ता में कोई दखलदांजी नही करने, काश्त नही करने, व उक्त विवादित रास्ते की जमीन अन्य व्यक्ति को बेचान न करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2815/3668 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान लिखत दिनांक 05.10.2006 को खरीद की गई, जिसका म्यूटेशन भी अपीलांट के पक्ष में जरिये नामान्तरकण संख्या 2446/3.11.2006 को हो चुका है। उक्त आराजी अपीलांट ने रेस्पोडेन्टगण से खरीद करते समय इकरार हुआ था कि उक्त खरीद की गई भूमि 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु दक्षिण दिशा से रास्ते छोडने का इकरार कर उसका पृष्टाकंन व लिखित रूप से इन्द्राजात किया गया। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीद करते समय वादग्रस्त आराजी पर आने जाने हेतु दक्षिण दिशा से 30 फीट रास्ते मौके पर छोडे हुये थे किन्तु उसके बाद वर्ष 2008 में उक्त रास्ते की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने उक्त खसरा नंबर की शेष बचत भूमि में रास्ता छोडी हुई भूमि पर कब्जा काश्त कर दिया एवं आने जाने के मार्ग को बंद कर दिया, जिससे अपीलांट को अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने वादग्रस्त आराजी में आने जाने हेतु दक्षिण दिशा से रास्ता छोडने हेतु रजिस्टर्ड बेचान लिखत में उल्लेख होते हुये भी रास्ते की कार्यवाही हेतु धारा 251 के तहत अलग से कार्यवाही करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही के खसरा नंबर 2815/3668 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी से लगती दक्षिण दिशा में 30 फीट वाले तीन रास्ते जो रेस्पोडेन्टगण 1 ता 5 के खातेदारी की है, पर अपने आने जाने हेतु रास्ता में कोई दखलदांजी नही करने, काश्त नही करने, व उक्त विवादित रास्ते की जमीन अन्य व्यक्ति को बेचान न करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया साथ ही रास्ते की भूमि से रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

को बेदखल करने का अनुतोष चाहा। जबकि कानूनन अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु रास्ते बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। किन्तु अपीलांट द्वारा रास्ते प्राप्त करने हेतु अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया, जो कि पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 को रास्ते की आराजी से बेदखल करने का अनुतोष चाहा, किन्तु इस सबंध में 188 का दावा केवल खातेदार जो वादकारण उत्पन्न होने से पूर्व विवादित आराजी से बेदखल कर दिया गया हो या बेदखल किये जाने की आशंका हो वही खातेदार धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु अपीलांट ने जिस वादग्रस्त आराजी के संबध में अनुतोष चाहा, उक्त आराजी पर न तो अपीलांट का कब्जा है एवं न ही अपीलांट उक्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बिना आधारो के प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियमो के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही के खसरा नंबर 2815/3668 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी से लगती दक्षिण दिशा में 30 फीट वाले तीन रास्ते जो रेस्पोडेन्टगण 1 ता 5 के खातेदारी की है, के संबध में अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता में कोई दखलदांजी नही करने, काश्त नही करने, व उक्त विवादित रास्ते की जमीन अन्य व्यक्ति को बेचान न करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी में आने जाने हेतु रास्ते को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 द्वारा बंद किये जाने का हवाला देते हुए अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर उक्त रास्ता खुलावाने का अनुतोष चाहा। जबकि अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु बंद रास्ते को खुलवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 सुखाचार के तहत संबधित तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जो कानूनन पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी वादग्रस्त आराजी मे आने जाने हेतु रास्तो की भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 05 को बेदखल करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अब हस्तगत प्रकरण में विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय है अथवा नहीं ? इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **फैली व अन्य बनाम राजस्व मंडल राजस्थान व अन्य** में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 188– कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद खारिज किया–निचले न्यायालयो ने निर्णीत किया कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत भूमि कब्जे मे थे–एकल न्यायाधीश ने भी याचिका खारिज की और सविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत हस्तक्षेप से इंकार किया–निर्णीत, समवर्ती निष्कर्षों को यथावत रखने में त्रुटि कारित नहीं की है।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा जिस आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 के विरूद्ध बेदखली का अनुतोष चाहा, उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, एवं न ही उक्त रास्ते की आराजी पर अपीलांट का कब्जा है। उक्त समस्त तथ्यो को अपीलांट ने अपने दावे में स्वीकार किया है। जिससे कानूनन कब्जे के अभाव में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 188 का वाद पोषणीय नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओ एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती हैं। एवं सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा बमुकदमा संख्या 86/08 बउनवान विठलभाई बनाम संजय वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28-06-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली